बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संःसं0–9/विविध–13–01/2025(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–..................................

डॉ० राजीव बाबु, सहायक प्राध्यापक(संविदा) (निश्चेतना विभाग), जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि विभागीय अधिसूचना सं०–368(17) दिनांक–31.12.2014 के द्वारा सीनियर रेजिडेंट के पद पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा में पदस्थापित किया गया। विभागीय अधिसूचना सं०–499(2) दिनाक–13.05.2016 द्वारा श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में स्थानान्तरित किया गया। विभागीय अधिसूचना सं०–323(17) दिनांक–17.05.2019 द्वारा संविदा के आधार पर सहायक प्राध्यापक के पद पर जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा में पदस्थापित किया गया। तत्पश्चात् वे अपने पिताजी के अस्वस्थता के कारण वर्ष 2021 से लगातार कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। डॉ० राजीव बाबु के द्वारा पुनः पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. डॉ० राजीव बाबु द्वारा योगदान करने हेतु किये गये अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० राजीव बाबु का आवेदन स्वीकार करते हुए पूर्व के पदस्थापित स्थान पर योगदान कराने का निर्णय लिया गया है।

3. प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि डॉ० राजीव बाबु को निर्गत आदेश के आलोक में योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व के पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कराया जाय। डॉ० बाबु का योगदान करने की सूचना अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० राजीव बाबु, सहायक प्राध्यापक (संविदा) (निश्चेतना विभाग), जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र गठित कर उपलब्ध करायी जाय।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/विविध–13–01/2025(स्वा0) ..../ **पटना, दिनांकः–**..................................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/विविध–13–01/2025(स्वा0) 935(9)/ **पटना, दिनांकः–** 18-8-25

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, कोशी प्रमण्डल, सहरसा/प्राचार्य/अधीक्षक जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि डॉ० राजीव बाबु के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः–डॉ० राजीव बाबु, सहायक प्राध्यापक (संविदा) (निश्चेतना विभाग), जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/8/2025
सरकार के अवर सचिव।